फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– नारायण

विपक्षी :– डूंगा

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 195/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी 3 से 6 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कडेचा पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 136 की खसरा [illegible] 249 से 255, 264, 265 किता 9 क्षेत्रफल 4.2100 हेक्टेयर भूमि [illegible] सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.31 12:29:59 IST
Reason: SelfAttested